बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

सं0सं0–4तक0 / विविध / 131 / 2016

आदेश

विषयः–औद्योगिक इकाईयों को Monthly Minimum Charge/Minimum Base Energy Charge/Demand/Billing Demand से छूट।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की कंडिका 2(VI) में प्रावधान है कि *"वर्त्तमान में कार्यरत इकाईयों तथा नई इकाईयों को **Monthly Minimum Charges/Minimum Base Energy Charge/Demand/ Billing Demand** अथवा बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित **tariff** आदेश में वर्णित किसी अन्य नाम से **Minimum Gurantee (Energy & Demand)** शुल्क से छूट औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के प्रभावी होने की तिथि से दी जाएगी। यह सुविधा पाँच वर्षों के लिए देय होगी।"*

2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की कंडिका–16 के अनुरूप यह नीति जुलाई 2011 से लागू हुई है तथा अगले पाँच वर्षों के लिए अर्थात 30 जून, 2016 तक प्रभावी रही है।

3. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक 1353 दिनांक 22.08.2016 के द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत दिनांक 01.07.2016 के उपरान्त भी *Monthly Minimum Charges/ Minimum Base Energy Charge/Demand/ Billing Demand* मद में छूट के प्रभावी होने के संबंध में दिशा–निर्देश की मांग की गई है।

4. प्रासंगिक कंडिका को स्पष्ट करने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की कंडिका 14 के तहत प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित व्याख्या एव समाधान समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग तथा विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किये जाय। वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श निम्नवत हैः– *"उक्त नीति के अन्तर्गत मिलने वाला प्रोत्साहन/अनुदान/सुविधा दिनांक 30.06.2016 को समाप्त हो जाता है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई का परामर्श प्रशासी विभाग को दिया जा सकता है।"*

5. वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निदेशक, तकनीकी विकास उद्योग विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 1188 दिनांक 22.08.2017 द्वारा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2017 को सम्पन्न व्याख्या एवं समाधान समिति की बैठक में लिए गए निर्णय कि "AMG/MMG पर छूट उन नई औद्योगिक ईकाईयों को देय होगा जिनके द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की प्रभावी तिथि 01.07.2011 से 30.06.2016 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है तथा दिनांक 30.06.2016 के उपरान्त यह सुविधा देय नहीं होगी" से संबंधित कार्यवाही निर्गत की गई।

6. औद्योगिक इकाईयों यथा मे0 राधा फ्लोर मिल प्रा0 लि0, राधानगर, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, शम्भुनाथ शिकारिया, पिता–राधा कृष्ण शिकारिया, राधानगर, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण, मेसर्स होटल यू0एस0 रेसिडेन्सी, एल0आई0सी0 ऑफिस के विपरीत, एम0जी0 रोड, औरंगाबाद एवं मे0 माँ मुण्डेश्वरी साईकिल उद्योग प्रा0 लि0, उर्मिला भिला, सूर्यमंदिर रोड, औरंगाबाद द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका C.W.J.C NO. 12134 of 2015, 3380 of 2017 तथा 3391 of 2017 के मामले में दिनांक 27.11.2017 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना के ज्ञापांक 1188 दिनांक 22.08.2017 को निरस्त करते हुए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की कंडिका 2(VI) के अनुरूप औद्योगिक ईकाईयों को Monthly Minimum Charge/Minimum Base Energy Charge/ Demand/ Billing Demand की

सुविधा/रियायत उपलब्ध कराने हेतु Mandamus निर्गत किया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त न्यायादेश निम्नवत है:–

'In such view of matter, the view which has be taken by the Industry Department as well as the Law Department is correct and the view, that has be taken by the Finance Department, is incorrect and, accordingly the order dated 22-08-2017 passed by the Director, Technical Department, Govt. of Bihar is quashed and this Court issue a mandamus to grant benefit of consession of exemption for Monthly Minimum Charge/ Minimum Base Energy Charge/ Demand / Billing Demand in terms of clause (VI) of the clause 2 of the Bihar Industrial Incentive Policy, 2011'

7 माननीय पटना उच्च न्यायालय के अनुपालन के क्रम में पुनः वित्त विभाग एवं विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा अपने पूर्व के परामर्श को वापस लेते हुए प्रासंगिक मामले में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त करने की सलाह दी गई । विधि विभाग से प्राप्त परामर्श निम्नवत है:–

"औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 01.07.2011 से अगले पाँच वर्षो के लिए प्रभावी थी, जिसकी अवधि 30.06.2016 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु प्रोत्साहन नीति की मूल भावना बिहार में औद्योगिक इकाई के गठन में छूट देकर औद्योगिक इकाईयों को बिहार में संयंत्र लगाने हेतु प्रोत्साहित करना था। प्रोत्साहन नीति की मूल भावना को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 जो 01.07.2011 से 30.06.2016 तक प्रभावी थी के बीच जिन नयी औद्योगिक इकाईयों ने बिहार में उत्पादन शुरू किया है उन्हें AMG/MMG के तहत शुल्क में छूट मिलनी चाहिए।"

उक्त के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त न्याय निदेश के अनुपालन के संदर्भ में निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की कंडिका 2(VI) के अनुरूप नई औद्योगिक इकाईयों को Monthly Minimum Charge/ Minimum Base Energy Charge/ Demand/ Billing Demand अथवा बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित टैरिफ आदेश में वर्णित किसी अन्य नाम से Minimum Guarantee (Energy &Demand) शुल्क से छूट औद्योगिक इकाई के उत्पादन तिथि से 05 (पाँच) वर्षो के लिए दी जायेगी। AMG/MMG के छूट के लिए आवेदक www.udyog.bihar.gov.in पर Online अपना आवेदन दर्ज करेंगे।

इकाई कार्यरत होनी चाहिए। उद्योग विभाग द्वारा इकाईयों की सूची साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी। **इस सुविधा की स्वीकृति के संदर्भ में उद्योग विभाग द्वारा निर्गत सभी सुसंगत संकल्पों/ अधिसूचनाओं/ आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।**

प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

25.04.2018

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 651 / पटना दिनांकः– 25.04.18

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक नार्थ बिहार/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बेली रोड, पटना को उनके पत्रांक–1353 दिनांक–22.08.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में निर्गत इस आदेश के अनुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

25.04.2018

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 651 / पटना दिनांकः– 25.04.18

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.04.2018

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 651 / पटना दिनांकः– 25.04.18

प्रतिलिपिः– मे0 राधा फ्लोर मिल प्रा0 लि0, राधानगर, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, शम्भुनाथ शिकारिया, पिता–राधा कृष्ण शिकारिया, राधानगर, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, मेसर्स होटल यू0एस0 रेसिडेन्सी, एल0आई0सी0 ऑफिस के विपरीत, एम0जी0 रोड, औरंगाबाद एवं मे0 माँ मुण्डेश्वरी साईकिल उद्योग प्रा0 लि0, उर्मिला भिला, सूर्यमंदिर रोड, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

25.04.2018

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।